

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

नजारत-अनुभाग

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मीरजापुर के परिसर में स्थित दुकानों की नीलामी इस वित्तीय वर्ष के लिये दिनांक 24.3.2025 को करायी गयी थी। परिसर में स्थित 13 दुकानों में से 7 दुकानों की नीलामी की जा चुकी है। नीलामी हेतु शेष रह गयी 6 दुकानों की पुनः नीलामी दिनांक 20/6/25 को दोपहर 1.00 बजे मीटिंग हाल में निर्धारित की जाती है।

क्रम संख्या	विवरण दुकान	दुकान का प्रकार	न्यूनतम धरोहर धनराशि
1	दुकान संख्या-1, 1/ए, एवं 1/बी	पूड़ी, मिठाई व नमकीन	10,000/-
2	दुकान संख्या-2 एवं 2ए	पूड़ी, मिठाई व नमकीन	10,000/-
3	दुकान संख्या-3	पान, चाय, बिस्कुट व नमकीन	10,000/-
4	दुकान संख्या-5	पान, चाय, बिस्कुट व नमकीन	10,000/-
5	दुकान संख्या-10	पान, चाय, बिस्कुट व नमकीन	10,000/-
6	दुकान संख्या-13	फोटो स्टेट	10,000/-

इच्छुक व्यक्ति उपरोक्तानुसार धरोहर धनराशि नगद दिनांक 19.6.25 को दोपहर 1.00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा कर सकते हैं। खुली बोली की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 20.6.25 को दोपहर 1.00 बजे जनपद न्यायालय, मीरजापुर स्थित मीटिंग हाल में होगी। नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

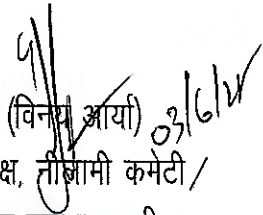
सामान्य शर्तें

1- इस नीलामी में केवल वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा जो पूर्व में किसी प्रकार से डिफाल्टर न रहा हो।

2- Security Money प्रत्येक दुकान की 10,000/- रुपये होगी।

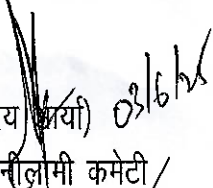
3- आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जायेगी शेष 75 प्रतिशत 7 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर दुकान का आवंटन बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। धनराशि जमा करने की अवधि किसी भी दशा में बढ़ायी नहीं जायेगी।

- 4- आवंटी को आवंटित दुकान किसी अन्य को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
- 5- आवंटी को आवंटित दुकान में स्थायी प्रकृति के निर्माण का कार्य/अतिक्रमण का अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने पर नीलामी निरस्त किया जा सकता है।
- 6- पान की गुमटी लेने वाले को सिगरेट/बीड़ी/तम्बाकू बेचने का अनुमन्य नहीं होगा। इस आशय की अण्डर टेकिंग देना अनिवार्य होगा।
- 7- आवंटीगण द्वारा नीलामी की शर्तों के उल्लंघन पर बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी निरस्त कर जमानत की धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी।
- 8- आवंटीगण आवंटित दुकान में जनपद न्यायालय परिसर की विद्युत का उपभोग नहीं करेंगे। इसके लिये उन्हें अलग से विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
- 9- खुली बोली में सर्वाधिक बोली लगाने वाले को दुकान आवंटित की जावेगी।
- 10- वित्तीय वर्ष 2024-25 की अधिकतम बोली इस वर्ष के लिये रिजर्व बिड होगी। इससे कम की बोली होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात दुकान आवंटित की जा सकेगी।


 (विनय आर्या) 03/6/24
 अध्यक्ष, नीलामी कमेटी/
 अपर सत्र न्यायाधीश,
 मीरजापुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को समस्त समाचार पत्र में अविलम्ब निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- जिलाधिकारी, कार्यालय मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- नगर पालिका परिषद मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- सिस्टम अधिकारी, जनपद न्यायालय, मीरजापुर निविदा सूचना को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय, मीरजापुर के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


 (विनय आर्या) 03/6/24
 अध्यक्ष, नीलामी कमेटी/
 अपर सत्र न्यायाधीश,
 मीरजापुर।